न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रार्थना–पत्र सं0 : 67 सन 2025

अनवान :–

1. जयचन्द पुत्र हनुमान जाति ब्राहमण निवासी धानसिया तहसील नोहर।

–**प्रार्थीगण**

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

–**अप्रार्थीगण**

प्रार्थना–पत्र धारा 128 व 131 भू0 राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता प्रार्थी
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 27/05/26

संक्षेप रूप में तथ्य इस प्रकार है कि सायल ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस आशय का पेश किया है की रोही मौजा धानसिया तहसील नोहर के खाता स0 987/372 के ख0न0 1089/2 की 2.7830 हैक्ट, ख0न0 1158/2 की 2.0494 हैक्ट कुल 4.8324 हैक्ट भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

रोही मौजा धानसिया तहसील नोहर के खाता स0 987/372 के ख0न0 1089/2 की 2.7830 हैक्ट, ख0न0 1158/2 की 2.0494 हैक्ट कुल 4.8324 हैक्ट भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है पर वाद भूमि सींमाकन से कम है तथा उक्त वाद भूमि की सीवं व डोल काश्तकार द्वारा तोड़ दी गई है जिस पर प्रार्थी सींमाकन कर पत्थरगढ़ी करवाना चाहता है। उक्त भूमि की पैमाईश हेतु प्रार्थी द्वारा तहसीलदार को आवेदन किया एवं आवेदन संख्या 29263/18/2025 की पालना में ग्राम खुंईया के ख0न0 1089/2 की दिनांक 04.06.2025 को पटवारी हल्का द्वारा पैमाईश की गई एवं मौतबिरान के हस्ताक्षर करवाये गये। प्रार्थी अपनी भूमि का पुख्ता सीमाकन कर पत्थरगढ़ी करवाना चाहता है।

प्रार्थी ने अप्रार्थी स0 1 को काफी मर्तबा कहा की वो प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि की पटवारी हल्का द्वारा दिये गये निशान के अनुसार पत्थरगढ़ी करवा देवे जिस पर अप्रार्थी स0 1 कुछ दिन तो आजकल करते रहे किन्तु अंत में इन्कार हो गये इसलिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी स0 1 की ओर से पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया।

अप्रार्थी स0 1 का जवाब पेश होने पर प्रार्थी ने साक्ष्य में अपना शपथ पत्र पेश किया जो की शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की प्रार्थी की उक्त भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज है की पत्थरगढ़ी करवाना चाहता है। पत्थरगढ़ी करने के आदेश फरमावे।

Rahul

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

पेरोकार राज ने अपनी बहस में अपने जबाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए प्रार्थना पत्र का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा धानसिया तहसील नोहर के खाता स0 987/372 के ख0न0 1089/2 की 2.7830 हैक्ट, ख0न0 1158/2 की 2.0494 हैक्ट कुल 4.8324 हैक्ट भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

सायलान/प्रार्थीगण का कथन है कि प्रार्थीगण द्वारा अपनी भूमि की पैमाईश करवाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया था प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र पर उसकी खातेदारी भूमि की नियमानुसार पैमाईश की जाकर फर्द मौका तैयार किया गया जाकर मौतबिरान के समक्ष पढ़ा जाकर बनाया गया था सायलान उसी के अनुसार अपनी भूमि की पत्थरगढ़ी करवाने का अधिकारी है सायलान का कथन सही प्रतीत होता है क्योंकि प्रार्थीगण द्वारा की गई पैमाईश की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है जिससे सायलान के कथनों की पुष्टि होती है।

कोई भी खातेदार काश्तकार अपनी खातेदारी भूमि की पैमाईश करवाने के उपरान्त अपने हक हक हिस्सा की खातेदारी भूमि की पत्थरगढ़ी करवाने का अधिकारी है उपरोक्त विवेचनानुसार सायलान का प्रार्थना पत्र भूमि पैमाईश उपरान्त पत्थरगढ़ी का पाया जाता है।

अतः सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नोहर को निर्देशित किया जाता है कि प्राथी की भूमि रोही मौजा धानसिया तहसील नोहर के खाता स0 987/372 के ख0न0 1089/2 की 2.7830 हैक्ट, ख0न0 1158/2 की 2.0494 हैक्ट कुल 4.8324 हैक्ट भूमि की नियमानुसार सभी पक्षकारान/प्रार्थी की भूमि की चिपते पड़ौसी काश्तकारों की उपस्थित में पैमाईश टीम गठित की जाकर पैमाईश करवाई जाना सुनिश्चित करे पैमाईश उपरान्त नियमानुसार पत्थरगढ़ी करवाने की कार्यवाही की जानी सुनिश्चित करे एवं निर्देशित किया जाता है कि उक्त कार्यवाही राज्य सरकार के निर्देशानुसार निर्धारित पैमाईश समय पर किया जाना सुनिश्चित करे। इसी आशय का आदेश तहसीलदार नोहर को भिजवाया जावे। व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेंगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 27/05/26 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरेईजलास सुनाया गया।

Rahul.

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर